

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

(६७)

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 7008-पीबीआर/15 विरुद्ध आदेश दिनांक 20-4-2015
पारित द्वारा कलेक्टर आफ स्टाम्प रायसेन प्रकरण क्रमांक
16/बी-103/2014-15/48(ख).

बद्रीप्रसाद उर्फ मोहनलाल आत्मज सुन्दरलाल
निवासी ग्राम तरावली
तहसील गौहरगंज जिला रायसेन

.....आवेदक

विरुद्ध

- 1— म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर आफ स्टाम्प
पंजीयक कार्यालय जिला रायसेन
2— उप पंजीयक (स्टाम्प) पंजीयक औबेदुल्लागंज
जिला रायसेन
3— शाखा प्रबंधक
इलाहाबाद बैंक शाखा मिसरोद भोपाल

.....अनावेदकगण

श्री प्रेमसिंह, अभिभाषक, आवेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 12/7/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899 (जिसे संक्षेप में
अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 56 के अंतर्गत कलेक्टर ऑफ स्टाम्प, रायसेन द्वारा पारित
आदेश दिनांक 20-4-2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि जिला पंजीयक, रायसेन की ऑडिट नोट
अवधि 25 एवं 26-9-2014 की कंडिका-5 में आक्षेप लिये जाने के आधार पर उप पंजीयक
औबेदुल्लागंज द्वारा दस्तावेज की प्रतिलिपि पालन प्रतिवेदन के संलग्न कलेक्टर आफ
स्टाम्प रायसेन को संदर्भित किया गया। कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा प्रकरण क्रमांक
16/बी-103/2014-15/48(ख) दर्ज किया जाकर दिनांक 20-4-2015 को आदेश पारित
कर बच्चक विलेख मूल्य 14,64,00/- पर मुद्रांक शुल्क रुपये 14,640/- निर्धारित किया
जाकर अधिनियम की धारा 40 के अन्तर्गत शास्ति रुपये 1,000/- अधिरोपित करते हुए

कुल रूपये 15,640/- जमा करने के आदेश दिये गये। कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :—

(1) आवेदक एवं अनावेदक कमांक 3 बैंक के मध्य निष्पादित दस्तावेजों के सम्बंध में आवेदिका द्वारा तत्समय प्रचलित सम्पूर्ण मुद्रांक शुल्क अनावेदक कमांक 3 बैंक के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया था।

(2) अनावेदक कमांक 3 बैंक का दायित्व था कि आवेदक से प्राप्त मुद्रांक शुल्क अनावेदक कमांक 2 उप पंजीयक के समक्ष जमा करवाते, परन्तु उनके द्वारा अपने कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही की गई है। अतः अनावेदक कमांक 3 बैंक की लापरवाही के लिए आवेदक को दण्डित नहीं किया जा सकता है।

(3) आवेदक द्वारा ऋण प्राप्त करने के लिए सभी शर्तों का पालन किया गया था, परन्तु अनावेदक कमांक 1 कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा उक्त महत्वपूर्ण तथ्य पर विचार किये बिना ही आवेदक के विरुद्ध आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है।

(4) आवेदक द्वारा कभी भी श्री सुनील शर्मा नामक व्यक्ति का प्रकरण में पक्ष समर्थन हेतु अधिकृत नहीं किया गया था। अतः इस सम्बंध में अनावेदक कमांक 1 कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा अपने आदेश में निकाला गया निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण है।

(5) अनावेदक कमांक 1 कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा पारित आदेश न्यायिक एवं बोलता हुआ आदेश नहीं माना जा सकता, क्योंकि आदेश पारित करने के पूर्व कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा अनावेदक कमांक 3 बैंक से आवेदक की ओर से मुद्रांक शुल्क जमा करने सम्बंधी दस्तावेजों की जांच की जाती तो वास्तविक तथ्य स्वमेव ही उनके समक्ष आ जाते, परन्तु उनके द्वारा कोई जांच नहीं कर केवल संभावनाओं के आधार पर आदेश पारित किया गया है, जो त्रुटिपूर्ण होकर निरस्त किये जाने योग्य है।

4/ अनावेदकगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है।

पूर्व से एकपक्षीय है।

5/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में उठाये गये आधारों के सदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट विवेचना की गई है कि आवेदक द्वारा भूमि बन्धक रखकर रूपये 14,64,00/- ऋण लिया

[Signature]

[Signature]

गया है, और शासन के नियमानुसार रूपये 10,00,000/- तक कृषि कार्य हेतु बन्धक विलेख पर मुद्रांक शुल्क से छूट प्रदान की गई है। चूंकि आवेदक द्वारा रूपये 10,00,000/- से अधिक रूपये 14,64,00/- ऋण लिया गया था, इसलिए एक प्रतिशत की दर से मुद्रांक शुल्क देय है, जिसे आवेदक की ओर से श्री सुनील शर्मा ने उपरिथित होकर स्वीकार भी किया गया है। अतः कलेक्टर ऑफ रिक्विसिशन द्वारा निर्धारित मुद्रांक शुल्क एवं अधिरोपित शास्ति विधि अनुसार होने से उनका आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर ऑफ रिक्विसिशन द्वारा पारित आदेश दिनांक 20-4-2015 रिथर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है।



(मनोज गोयल)

अध्यक्ष

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर